



# संगठनात्मक ढांचा और कार्य

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20



# संगठनात्मक ढांचा और कार्य

## प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों तथा कार्य नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् कोल इंडिया लि. (सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लि. (एनएलसीआईसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

## विजन

ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आधुनिक, धारणीय एवं प्रतिस्पर्धी कोयला क्षेत्र।

## उद्देश्य

- कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओवर बर्डन हटाने (ओबीआर), लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
- कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने हेतु अवसंरचना विकास
- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग करना।
- अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहलें
- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता
- अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी से तथा संयुक्त रूप से समाधान
- कोल इंडिया की क्षमता में सुधार
- निजी निवेश आकर्षित करना
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

## कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय का सरोकार भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार आबंटित विषय (अधीनस्थ अथवा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध विषयों से जुड़े पीएसयू) में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) भारत में कोकिंग कोयला और नान कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास।
- (ii) कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मामले।
- (iii) ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।
- (iv) कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।
- (v) कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।
- (vi) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
- (vii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
- (viii) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
- (ix) खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद-शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन।
- (x) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।
- (xi) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित

कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

- (xii) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 26) का प्रशासन,
- (xiii) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का प्रशासन आदि।

### संगठन ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, पांच संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, एक उप महानिदेशक तेरह निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक, बारह अवर सचिव, चौबीस अनुभाग अधिकारी, एक उप-निदेशक, दो सहायक निदेशक, एक लेखा नियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक दो वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा तीन सहायक लेखा अधिकारी तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं। कोयला मंत्रालय का संगठन चार्ट अनुबंध-1 में दिया गया है।

### अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठन हैं:-

- (i) कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय – एक अधीनस्थ कार्यालय।
- (ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) – एक स्वायत्तशासी निकाय।

### सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

#### कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक "महारत्न" कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा (31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार) 277357 जनशक्ति सहित सबसे बड़ा नियोजित कारपोरेट है। सीआईएल भारत के आठ राज्यों में फैले 83 खनन क्षेत्रों में प्रचालित है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 364 खानें हैं जिनमें से 166 भूमिगत, 180 ओपनकास्ट और 18 मिश्रित खानें हैं। इसके अलावा सीआईएल 16 कोयला वाशरियां (12 कोकिंग कोल तथा 04 नॉन कोकिंग कोल) प्रचालित करती है तथा कार्यशाला, अस्पताल आदि जैसे अन्य प्रतिष्ठानों का भी प्रबंधन करती है। सीआईएल के पास 27 प्रशिक्षण संस्थान हैं। सीआईएल

के नियंत्रणाधीन भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र है तथा कार्यपालकों को बहु-आयामी प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करती है। कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता विद्युत एवं इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य में सीमेंट, उर्वरक, ईट भट्टे तथा कई अन्य उद्योग शामिल हैं।

सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली आठ सहायक कंपनियां निम्नलिखित हैं:-

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल),
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
- सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

इसके अलावा, सीआईएल की मोजांबिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) नामक एक विदेशी सहायक कंपनी है। असम में एक खान अर्थात् नार्थईस्टर्न कोलफील्ड्स का प्रबंधन सीआईएल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

महानदी कोलफील्ड्स लि., कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी की चार (4) सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दो सहायक कंपनियां तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।

कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता विद्युत और इस्पात क्षेत्र हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सीमेंट, उर्वरक, ब्रिक किल्न तथा छोटे उद्योग शामिल हैं।

#### सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

- सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल का प्राणहिता- गोदावरी घाटी कोलफील्ड्स में 10622 मिलियन टन प्रामाणिक भंडार है। एससीसीएल कुल अखिल भारत उत्पादन का लगभग 9% का उत्पादन करती है।

- एससीसीएल का तेलंगाना में कोटागुडेम, भद्राद्री जिले में पंजीकृत कार्यालय है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 47178 श्रमशक्ति सहित तेलंगाना के छह जिलों में 18 ओपनकास्ट तथा 27 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।
- ओडिशा के अंगुल जिले में अगस्त, 2015 में एससीसीएल को नैनी कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसके लिए खनन पूर्व कार्यकलाप चल रहे हैं तथा विभिन्न अनुमतियां/ अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रक्रिया में है। तेलंगाना राज्य के भद्राद्री जिले में स्थित पेनागड्डप्पा कोयला ब्लॉक 15 दिसंबर, 2016 को एससीसीएल को आबंटित किया गया है। अन्वेषण ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है तथा जी आर प्रस्तुत कर दी गई है। ओडीशा में नई पात्रापाड़ा कोयला ब्लॉक एससीसीएल को 30.10.2019 को आवंटित की गई है। एससीसीएल ने कार्यक्रम के अनुसार खनन-पूर्व कार्यकलाप शुरू करने हेतु आवश्यक कदम उठाया है।
- वर्तमान में 2X600 मे.वा. सिंगरेनी थर्मल विद्युत स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिला में प्रचालन में है। वर्ष 2018-19 के दौरान सकल विद्युत उत्पादन 8698 एमयू है तथा वर्ष 2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक) में कुल 6755 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया है।
- एससीसीएल ने तेलंगाना में एससीसीएल कमान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 300 मे.वा. का सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। 129 मे.वा. के सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं तथा मार्च, 2020 तक पूरे कर लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 90 मे.वा. के सोलर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं तथा 30.9.2020 तक स्थापित कर लिए जाएंगे और तीसरे चरण में 81 मे.वा. के लिए सोलर संयंत्र भूमि की पहचान कर ली गई है।

### एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक "नवरत्न" कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसीआईएल की कई परियोजनाएं हैं तथा इसका विस्तार तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडीशा, झारखण्ड, अंडमान राज्य में होने के साथ-साथ मौजूदा खानों एवं विद्युत संयंत्रों के विस्तार/उसमें तेजी लाना, ग्रीन फील्ड खानों एवं विद्युत संयंत्रों की स्थापना, विद्युत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण, पूरे भारत में छाप छोड़ते हुए देश भर में पवन एवं सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है। एनएलसीआईएल लिग्नाइट और कोयले का उपयोग करते हुए तथा थर्मल पावर एवं हरित ऊर्जा की उपलब्धि

सहित ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित का प्रचालन करती है:-

### लिग्नाइट खानें:

नेयवेली में 28.5 मि.टन. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता से तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 2.1 मि.टन. प्रति वर्ष की क्षमता से एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान। लिग्नाइट क्षेत्र में वर्तमान स्थापित क्षमता 30.60 एमटीपीए है।

### लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन:

नेयवेली, तमिलनाडु में 3390 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता सहित पांच लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 250 मेवा की कुल स्थापित क्षमता सहित एक तापीय विद्युत स्टेशन। लिग्नाइट आधारित कुल स्थापित थर्मल विद्युत उत्पादन क्षमता 3640 मे.वा. है।

### नवीकरणीय ऊर्जा:

एनएलसीआईएल ने कझनीरकुलम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 51 मे.वा. की स्थापित क्षमता सहित अपने पवन ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। एनएलसीआईएल ने कई सौर-संयंत्र स्थापित किए हैं अर्थात् नेयवेली में 140 मे.वा.(130 मे.वा.+10 मे.वा.) का सौर-ऊर्जा संयंत्र, नेयवेली में 1.06 मे.वा. क्षमता की रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामानंतपुरम तथा विरूधुनगर 500 मे.वा. सौर संयंत्र स्थापित किया है तथा मार्च, 2019 में चालू कर दिया गया था।

तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, रामानंतपुरम, तुतीकोरिन तथा विरूधुनगर जिले में 709 मे.वा. की सौर-ऊर्जा परियोजना सितंबर, 2019 तक शुरू कर दी गई थी तथा अक्तूबर, 2019 में सीओडी घोषित कर दी गई थी।

एनएलसीआईएल 1 जीडब्ल्यू सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने वाली पहली पीएसयू बन गई है। सौर परियोजना की वर्तमान स्थापित क्षमता 1.35 जीडब्ल्यू है।

### कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन:

एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड तथा टीएनएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम (89:11 के अनुपात में इक्वीटी भागीदारी) के माध्यम से तुतिकोरीन, तमिलनाडु में 500 मे.वा. की क्षमता की दो (1000 मे.वा.) इकाइयों सहित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना प्रचालन में है।

दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार एनएलसी इंडिया लि. तथा

इसकी सहायक कंपनियों की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 6043.56 मे.वा. थी।

तमिलनाडु में नेयवेली में 1000 मे.वा. क्षमता की लिग्नाइट आधारित नेयवेली नई थर्मल पावर परियोजना (एनएनटीपीपी) वर्ष 2019-20 तक चालू हो जाने की संभावना है। इसमें से यूनिट-1 (500 मे.वा.) 19.12.2019 को पूरी कर ली गई थी। 20.12.2019 को सीओडी मिल चुका था।

नेयवेली तमिलनाडु में चार थर्मल पावर स्टेशन और तीन खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में लिग्नाइट खानें एवं लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएसएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं। एनएलसीआईएल की उत्पादन वृद्धि बनी हुई है और भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में इसका पर्याप्त योगदान है।

### योजनाधीन/निर्माणाधीन परियोजनाएं :

ओडिशा में 20.0 एमटीपीए क्षमता की तालाबीरा । एण्ड III ओपनकास्ट कोयला परियोजना से वित्त वर्ष 2019-20 में कोयला उत्पादन आरंभ होने की आशा है। दिनांक 11.12.2019 से ओवरबर्डन हटाने का कार्य शुरू हो गया है।

दक्षिण अंडमान में 2x10 (20 मे.वा.) सौर विद्युत परियोजना में कार्य प्रगति पर है। 20 मे.वा. में से 2.5 मे.वा. की परियोजना स्थापित हो चुकी है। शेष 17.5 मे.वा. मार्च, 2020 तक स्थापित होने की संभावना है।

ओडिशा (एनटीटीपीपी) में 2400 मे.वा. पिट हैड कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना वर्ष 2024-25 तक स्थापित हो जाने की संभावना है।

नेयवेली, तमिलनाडु में ताप विद्युत स्टेशन II दूसरा विस्तार (2x660 मे.वा.) वर्ष 2024-25 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

नेयवेली में भूमि पर स्थापित 10 मे.वा. सौर परियोजना – उच्च सीयूएफ हासिल करने हेतु प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन प्रगति पर है। वर्ष 2020-21 में स्थापित हो जाने की संभावना है।

एनएलसीआईएल के ताप विद्युत स्टेशन II दूसरा विस्तार की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने हेतु नेयवेली में खान – III विकसित करने का प्रस्ताव है, (11.50 एमटीपीए) खनन योजना एवं संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदन हेतु कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। एमओईएफ एण्ड सीसी की पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति ने विचारार्थ विषय (टीओआर) का अनुमोदन कर दिया है। नेयवेली में 11 दिसंबर, 2018 को जन सुनवाई का आयोजन किया गया

था। जन सुनवाई की बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त सितंबर, 2019 में टीएनपीसीबी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। अंतिम ईसी आवेदन एमओईएफ एण्ड सीसी की वेबसाइट पर नवम्बर, 2019 में अपलोड की गई है।

### कोयला नियंत्रक का संगठन (सीसीओ)

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर सम्बलपुर, आसनसोल और कोटागुदेम में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

इस कार्यालय का प्रमुख कोयला नियंत्रक है जो संयुक्त सचिव के समतुल्य अधिकारी हैं इन्हें समूह 'क' के अन्य 05 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सहयोग दिया जाता है जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं.	पदनाम	स्तर
1	निदेशक (भारतीय सांख्यिकी सेवा)	एल-13
2	उप निदेशक (भारतीय सांख्यिकी सेवा)	एल-11
3-5	उप सहायक कोयला नियंत्रक (3)	एल-10

चूंकि अधिकांश तकनीकी पद लम्बे समय से रिक्त हैं, सीसीओ द्वारा जनहित में कार्यालयी कार्य करने हेतु सीआईएल/एससीसीएल के विभिन्न अधिकारियों को लोन के आधार पर लिया गया है।

वर्तमान में प्रत्येक फील्ड कार्यालय का प्रमुख सीआईएल/एससीसीएल से लिए गए कार्यपालक हैं जो 'विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)' की क्षमता में कार्य कर रहे हैं इन्हें सीआईएल/एससीसीएल के अन्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। इनके अलावा सीआईएल/एससीसीएल के चार अधिकारियों की तैनाती सीसीओ, कोलकाता में 'विशेष कार्य अधिकारी' के रूप में तथा सीआईएल से संबंधित दो खनन अधिकारी एवं एक वित्त अधिकारी (सीए) कोयला नियंत्रक के कार्यों में सहायता करने हेतु तैनात किए गए हैं।

इस कार्यालय की कोयले के ग्रेड का अनुमोदन करने, कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कार्यालय कोयला संबंधी सभी सांख्यिकीय सूचनाओं के संग्रहण समेकन एवं विश्लेषण करने, खान खोलने की अनुमति देने, एसक्रो खाता खोलने एवं खान बन्द करने हेतु भुगतान करने, सीबीए (एएण्ड डडी), अधिनियम 1957 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु एनओसी जारी करने, रेत भराई उत्पाद कर के संग्रहण के शेष कार्यों, सीसीडीए, भुगतान आयुक्त से संबंधित कार्यों की निगरानी करने के लिए नोडल ऑफिस है।

## कार्य:

कोयला नियंत्रक संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्य करता है :

- (i) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
- (ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)।
- (iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011
- (iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) ।

इसके अलावा कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:

- (क) कैप्टिव कोयला ब्लॉकों (निधानित और आबंटित) के कोयला उत्पादन की निगरानी का कार्य।
- (ख) वाशरियों की मानीटरिंग का कार्य।
- (ग) खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विभिन्न कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के साथ एस्करो लेखा करार पर हस्ताक्षर करने हेतु भारत सरकार की ओर से एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा निष्पादित कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:—

### (1) कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिए अनुमति प्रदान करना।

कोयला नियंत्रक संगठन ने 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 के दौरान 9 कोयला/लिग्नाइट खानों को खोलने तथा पुनः खोलने को अनुमति प्रदान की है।

### (2) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत मामलों का निपटान

01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत 08 अधिसूचनाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

### (3) एकत्रित एवं विश्लेषित कोयला नमूने, प्राप्त सांविधिक शिकायतें एवं निपटान

कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 तथा कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन नियम, 2011 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक कोलियरियों से प्रेषित कोयले की गुणवत्ता का अनुमोदन करता है तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का भी निपटान करता है।

31-12-2019 तक 27 सांविधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मामलों के समाधान हेतु कार्रवाई की गई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान ग्रेड निर्धारण प्रयोजन हेतु सीसीओ ने विभिन्न कोयला खानों एवं भारत की सभी कोयला कंपनियों की साइडिंग्स में पूरे वर्ष किंचित सैम्पलिंग कार्यकलाप किया था। 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक एकत्रित एवं विश्लेषित कोयला नमूनों (जांच) की कुल संख्या 1011 है।

### (4) उत्पाद शुल्क का संग्रहण

01 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2019 के दौरान स्टोइंग उत्पाद शुल्क का कोई संग्रहण नहीं हुआ क्योंकि करधान कानून संशोधन अधिनियम, 2017 के माध्यम से कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के अनुसार कोयले (स्टोइंग उत्पाद शुल्क एसईडी) पर लगाए गए उपकर को दिनांक 01.07.2017 को जीएसटी लागू होने के साथ ही समाप्त कर दिया गया है।

उत्पाद शुल्क के अलावा यह कार्यालय रॉयल्टी, जीएसटी, एनएमईटी आदि से संबंधित सूचना एकत्र करता है तथा इसे कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से भेजता है।

### (5) कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, समेकन तथा प्रकाशन

कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन और प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में संग्रहण, समेकन, प्रकाशन तथा आंकड़ों के प्रसार के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते सीसीओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई, डीआईपीपी, भारतीय खान ब्यूरो तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह वार्षिक कोयला निर्देशिका तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी भी प्रकाशित करता है। कोयला निर्देशिका 2017-18 तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2018-19 पहले ही प्रकाशित कर दी गई है। कोयला निर्देशिका 2018-19 पर कार्य चल रहा है।

### (6) कोयला ब्लॉकों की मॉनिटरिंग तथा प्रगति

कोयला नियंत्रक का कार्यालय पूर्व में आवंटित कोयला ब्लॉकों से संबंधित बैंक गारंटी के मुद्दे का निगरानी करता है तथा मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर रिपोर्ट भेजता है। यह ब्रिज लिकेज के माध्यम से कोयले की लिकेज मात्रा का भी निर्धारण करता है।

## (7) खान बंद करने संबंधी योजना तथा एस्करो लेखा करार का अनुपालन

कोयला नियंत्रक कार्यालय को अनुमोदित खान बंद करने संबंधी योजना (प्रगामी तथा अंतिम) के अनुसार खनन क्षेत्रों की खान बंद करने संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने तथा पर्यावरण सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र फेंसिंग, संरक्षा एवं पुनरुद्धार एवं पुनर्वास कार्यों पर हुए व्यय के संबंध में सीएमपीडीआईएल/एनईईआरआई, नागपुर/आईएसएम, धनबाद/आईआईटी, खड़कपुर/आईआईईएसटी, शिवपुर जैसी सरकारी अधिसूचित संस्थानों से प्रमाणीकरण का कार्य करने तथा खान बंद योजना तैयार करने हेतु कोयला मंत्रालय के दिनांक 07.01.2013 तथा 16.12.2019 के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत अनुमोदित खान बंद योजना के अनुसार वार्षिक खान बंद करने संबंधी लागत, जहां कोयला नियंत्रक अनन्य रूप से लाभार्थी होगा, जमा करने हेतु किसी अधिसूचित बैंक में मियादी जमा एस्करो खाता खोलने का कार्य सौंपा गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान दिसम्बर, 2019 तक 6 कोयला खानों के लिए सीआईएल/सहायक कंपनियों के अधीन एससीसीएल के अंतर्गत 37 खानों तथा 2 केप्टिव कोयला खानों कुल 45 त्रिपक्षीय एस्करो करार (5 नए तथा 40 संशोधित) निष्पादित किये गए थे।

दिसम्बर, 2019 तक 589 कोयला तथा लिग्नाइट खानों को कवर करते हुए कोयला/लिग्नाइट कंपनियों और अधिसूचित बैंकों तथा सीसीओ के बीच 559 त्रिपक्षीय एस्करो खाता करार निष्पादित किए

गए हैं। 31 दिसम्बर, 2019 तक एस्करो खाते में ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि 9765.4022 करोड़ रु. (अंतिम) है।

31 दिसम्बर, 2019 तक 37 विभिन्न कोयला एवं लिग्नाइट खानों के एस्करो खाते से प्रगामी/अंतिम खान बन्द करने संबंधी कार्यकलापों के लिए 978.077 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है।

## (8) भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य

कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में भुगतान आयुक्त (सीओपी) के दो कार्यालय स्थापित किए गए थे, एक धनबाद तथा दूसरा कोलकाता में ताकि वर्ष 1972-73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के पूर्व स्वामियों की देयताओं का निपटान करने हेतु राशि का संवितरण किया जा सके। धनबाद कार्यालय का अधिकांश कार्य समाप्त होने के पश्चात् इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था तथा शेष कार्य को भुगतान आयुक्त कार्यालय कोलकाता को 1987 में अंतरित कर दिया गया था।

तत्पश्चात् आर्थिक आयोग सुधार (ईआरसी) की सिफारिशों के अनुपालन में भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता को भी 06 जून, 2007 से बंद कर दिया गया है। भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता का शेष कार्य कोयला नियंत्रक कार्यालय को अंतरित कर दिया गया है। वर्तमान में कोयला नियंत्रक पदेन भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं।

भुगतान आयुक्त का निष्पादन निम्नानुसार है:-

कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 एवं कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अंतर्गत निधियों की स्थिति (01.04.2019 की स्थिति)

क्र. सं.	विवरण	कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973
1	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की संख्या और भुगतान आयुक्त द्वारा खोले गए तदनुसूची को.लियरी खाते	226	711
2	31.03.2019 तक बंद कोलियरी खातों की संख्या	187	627
3	2018-19 के दौरान बंद कोलियरी खातों की संख्या (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019)	शून्य	शून्य
4	31.03.2019 तक बंद किये जाने वाले कोलियरी खातों की संख्या	39	84
5	2018-19 के दौरान भुगतान की गई मुआवजा राशि (31.03.2019)	शून्य	शून्य
6	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार भुगतान हेतु शेष राशि	415.37 लाख रु.	848.61 लाख रु.

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भुगतान आयुक्त को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय द्वारा उन्हें देय मुआवजा राशि के वितरण के लिए भी इस अधिनियम के अधीन

नियुक्त किया गया है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 तथा 2018-19 तथा 2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान किए गए भुगतानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-



वर्ष	वितरित राशि (रु. में)
2016-17	944,69,37,538
2017-18	197,31,98,353
2018-19	2,47,41,088
2019-20 (दिसम्बर, 2019 तक)	शून्य

### कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में की गई थी और इसका कार्य कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948, कोयला खान बीमा स्कीम से संबंध निक्षेप, 1976 तथा कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को लागू करना है। इन तीन स्कीमों का परिचालन त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार संगठन द्वारा लगभग 4,00,000 लाख भविष्य निधि दाताओं को तथा लगभग 535000 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं दी जाती हैं। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देश में कोयला उत्पादक सभी राज्यों में इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

### कोयला खान भविष्य निधि स्कीम

वित्त वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर निजी क्षेत्र में प्रचलित कोक संयंत्रों को छोड़कर इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों तथा कार्यालय एककों की कुल संख्या 876 है। 31.03.2020 की

स्थिति के अनुसार भविष्य निधि स्कीम, 1948 के अंतर्गत लगभग 4,00,000 जीवित सदस्यता होने का अनुमान है।

वर्ष 2019–20 अर्थात् (01.04.2019 से 30.11.2019) तक के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित कोयला खान भविष्य निधि अंशदान की रकम लगभग 4500 करोड़ रुपए थी तथा दिनांक 01.12.2019 से 31.03.2020 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि में लगभग 2250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार अंशदान की कुल राशि बढ़कर लगभग 48000 करोड़ रुपए हो जाएगी। निधि में मौजूद पूरी रकम का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। 31.11.2019 तक कुल लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश (16,522 करोड़ रुपए के एसडीएस निवेश सहित) है। वृद्धिकारक निवेश (अंकित मूल्य) 01.04.2019 से 30.11.2019 तक लगभग 3900 करोड़ रुपए हैं तथा 01.02.19 से 31.03.20 तक यह निवेश की राशि लगभग 600 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों की एकत्र राशि पर प्रति वर्ष 8.00% प्रतिशत की दर से (बीओटी द्वारा प्रस्तावित) अनंतिम ब्याज की अनुमति दी गई है। तथापि बीओटी ने 8.6% ब्याज दर की सिफारिश की थी। (बशर्ते कि सरकार का अनुमोदन हो)।

वर्ष 2018–19 के ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु 20.12.2019 को बीओटी की 172वीं बैठक आयोजित की गई थी।


वर्ष 2019–20 (31 मार्च, 2020 तक) के दौरान अदा किए गए अग्रिमों सहित भविष्य निधि से वापिस की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

भविष्य निधि वापसी एवं अग्रिम मामले	निपटाए गए (01.04.2019 से 31.09.2020) मामलों की संख्या तथा वितरित <sup>#</sup>	निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या (01.10.2019 से 31.03.2020) तथा वितरित किए जाने वाले <sup>#</sup>
भविष्य निधि वापसी मामले	15033	15000 लगभग
विवाह अग्रिम	2195	3000 लगभग
शिक्षाअग्रिम	255 3237	
गृह निर्माण अग्रिम	787	
भविष्य निधि तथा अग्रिम पर वितरित राशि	600.00 करोड़ रु. लगभग (दिनांक 01.04.19 से 30.11.19 तक लागू)	2800 करोड़ रुपए लगभग। (दिनांक 01.12.19 से 31.03.19 तक लागू)

# सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

सीएमपीएफओ स्कीम के प्रशासन की लागत की पूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को 03 प्रतिशत की दर से प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार में से की जाती है।

भविष्य निधि वापसी के मामलों के निपटान में विलंब का रूझान नीचे दिया गया है: —



### बीमा से संबद्ध कोयला खान निक्षेप स्कीम

सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का सदस्य था, उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति भविष्य निधि की राशि के अतिरिक्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मृत व्यक्ति के खाते में औसत शेष राशि के बराबर पाने का अधिकारी है बशर्ते यह राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो।

इस स्कीम के अनुसार कर्मचारियों को शामिल किए गए कार्मिकों की कुल मजदूरी के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार को भी इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अंशदान की गई राशि के आधी राशि के बराबर अंशदान करना होता है। इस समय इस स्कीम के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोजक कुल मजदूरी के 0.1 प्रतिशत की दर से अंशदान करते हैं और केंद्र सरकार उसका 50 प्रतिशत अर्थात् कुल मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है।

सीआईएल के कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्र

अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) दिनांक 24.03.2009 के तहत उक्त स्कीम से प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के प्रवर्तन से पहले छूट दी गई थी।

### कोयला खान पेंशन स्कीम 1998:

कोयला खान भविष्य निधि की धारा 3 ई और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में किए गए कार्यों तथा ऐसी अधिक्रमण के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 बनाया है। कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है।

01.04.2019 से 31.09.2019 तथा 01.10.2019 से 31.03.2020 (अनुमानित) के दौरान कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के अंतर्गत निपटाए गए कुल पेंशन दावों एवं भुगतान का विवरण नीचे दर्शाया गया है:—

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998	निपटाए गए (01.04.2019 से 30.09.2019) तथा वितरित मामलों की संख्या	निपटाए जाने वाले (01.10.2019 से 31.03.2020) तथा वितरित किए जाने वाले मामलों की अनुमानित संख्या रु
पेंशन के निपटाए गए नए दावों की संख्या	15261	15000 लगभग
कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के अंतर्गत वितरित धनराशि	2200.00 करोड़ रुपए लगभग	1080.00 करोड़ रुपए लगभग

रु सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

### निधियों का कोष एवं इसकी संधारणीयता

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) नियुक्ति के दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति।

(ख) कर्मचारी के मासिक वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अंशदान बराबर-बराबर शेयर का अपना-अपना कुल अंशदान करते हैं, कर्मचारी की निधि से नियम दिन से अंतरित किया जाना है।

- (ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31.3.1996 तक कर्मचारी को प्रदत्त मूल एवं मंहगाई भत्ता के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उसके वेतन से अंतरित की जाएगी।
- (घ) 1 जुलाई, 1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इसमें जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकल्पित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है।
- (ङ.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है;
- बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन एक हजार छः सौ रु. प्रति माह से अधिक हो, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान मात्र एक हजार छः सौ रु. प्रति माह के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा।
- (च) इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में शामिल होने का विकल्प देने वाले नए कर्मचारियों सहित पेंशन योजना के सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली राशि।

वर्ष 2019–20 के दौरान अर्थात् 01.04.2019 से 30.11.2019 तक लगभग 2450.00 करोड़ रु. तथा 01.12.2019 से 31.03.2020 तक लगभग 1225.00 रुपये सेवारत सदस्यों के अनिवार्य पेंशन अंशदान के रूप में भविष्य निधि से पेंशन निधि में जमा किया गया था। सेवारत सदस्यों का पेंशन अंशदान 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 4125.00 करोड़ रुपए है। (सरकार के अंशदान तथा

ब्याज सहित)।


#### कवरेज :-

- (क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 की कर्मचारियों की नामावली में थे।
- (ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।
- (ग) ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्त के साथ पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।
- (घ) 1.4.94 से 31.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं.521 (ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

#### लाभ :-

- (क) मासिक पेंशन (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवा से निकलना।)
- (ख) विकलांगता पेंशन
- (ग) मासिक विधवा अथवा विधुर पेंशन
- (घ) बाल पेंशन
- (ङ.) अनाथ पेंशन
- (च) अनुग्रह राशि का भुगतान

पेंशन मामलों के निपटान में लंबित मामलों में रुझान का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है:-



**टिप्पणी:** वर्ष 2019–20 के लिए कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री में दिए गए सभी आंकड़े अनंतिम (गैर-लेखा परीक्षित) हैं।

